"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 813] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर 2019 — अग्रहायण 7, शक 1941

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 (अग्रहायण 7, 1941)

क्रमांक-12620/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) जो गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 19 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरहवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी जिसे राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 5 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) में, धारा 5 में, खण्ड (34–क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(34–क) "महापौर" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो नगरपालिक क्षेत्र के किसी भी वार्ड से पार्षद निर्वाचित हुआ हो और तत्पश्चात् जो नगरपालिक निगम के निर्वाचित पार्षदों द्वारा महापौर के रुप में निर्वाचित हुआ हो;

(34–ख) "नगरपालिक क्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी नगरपालिक निगम का प्रादेशिक क्षेत्र जो राज्यपाल द्वारा इस अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (2) के अधीन अधिसूचित किया गया है;"

धारा 9 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम में, धारा 9 में,–

(एक) उप–धारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर,

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(क) महापौर;"

(दो) उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(4) यदि किसी नगरपालिक क्षेत्र का कोई वार्ड, पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहता है, तो ऐसे वार्ड के स्थान को भरने के लिये छः माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जायेगा :

परन्तु महापौर, अध्यक्ष, किन्हीं विभागीय समितियों या अन्य समितियों में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियां, ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते, स्थगित नहीं की जायेंगी।"

धारा 11–क का संशोधन.

4. मूल अधिनियम में, धारा 11–क में, उप–धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(4–क) ऐसी नगरपालिक निगमों में जहां, इस धारा के अनुसार, महापौर का पद, किसी विशेष प्रवर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया हो, वहां ऐसा कोई भी निर्वाचित पार्षद, जो महापौर पद हेतु आरक्षित प्रवर्ग का हो, महापौर के पद हेतु प्रत्याशी बन सकेगा, चाहे वह वार्ड, जहां से वह निर्वाचित हुआ हो, उस प्रवर्ग के लिए आरक्षित हो या नहीं।"

धारा 12 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम में, धारा 12 में, खण्ड (सी) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(डी) किसी पंचायत या किसी नगरपालिका के नगरपालिक क्षेत्र से संबंधित किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत नहीं है;

स्पष्टीकरण–1: इस धारा के प्रयोजन हेतु "पंचायत" का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 2 के खण्ड (सत्रह) में उसके लिए समनुदेशित है:

स्पष्टीकरण–2: इस धारा के प्रयोजन हेतु "नगरपालिक क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 3 के खण्ड (18–क) में उसके लिये समनुदेशित है।"

धारा 14 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम में, धारा 14 में,–

(एक) उप–धारा (1) में, शब्द "तथा महापौर" का लोप किया जाये;

(दो) उप–धारा (2) में, शब्द "तथा महापौर" का लोप किया जाये।

धारा 14–क का संशोधन.

7. मूल अधिनियम में, धारा 14–क में, उप–धारा (1) में, शब्द "महापौर" के स्थान पर, शब्द "पार्षद" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 14–ख का संशोधन.

8. मूल अधिनियम में, धारा 14–ख में, शब्द "महापौर" के स्थान पर, शब्द "पार्षद" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 14—ग का संशोधन.

9. मूल अधिनियम में, धारा 14—ग में, खण्ड (ख) में, शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये।

धारा 15 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम में, धारा 15 में,—

(एक) शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये;

(दो) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु कोई भी व्यक्ति पार्षदों के किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा।"

धारा 16 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम में, धारा 16 में,—

(एक) उप—धारा (1) के खण्ड (क) का लोप किया जाये;

(दो) उप—धारा (4) का लोप किया जाए।

धारा 17 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम में, धारा 17 में,—

(एक) शीर्षक में, शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये;

(दो) उप—धारा (1) में, शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये;

(तीन) उप—धारा (1) में, खण्ड (ख ख) में, शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये;

(चार) उप—धारा (1) में, खण्ड (ड.) में, शब्द "महापौर की दशा में पच्चीस वर्ष से कम आयु का हो और" का लोप किया जाये;

(पांच) उप—धारा (2) में, पार्श्व शीर्षक एवं संलग्न पैरा में, शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये;

(छः) उप—धारा (3) में, शब्द "या महापौर" जहां कहीं भी आया हो, का लोप किया जाये।

धारा 17–ख का संशोधन.

13. मूल अधिनियम में, धारा 17–ख में,–

(एक) उप–धारा (1) में, शब्द "प्रत्येक महापौर तथा" लोप किया जाये;

(दो) उप–धारा (1) में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" अंतःस्थापित किया जाये; और

(तीन) उप–धारा (2) में, शब्द "महापौर या" जहां कहीं भी आया हो, का लोप किया जाये।३

धारा 18 का संशोधन.

14. मूल अधिनियम में, धारा 18 में,–

(एक) शीर्षक में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" अंतःस्थापित किया जाये;

(दो) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :–

"(1) राज्य निर्वाचन आयोग, धारा 22 के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना के पन्द्रह दिवस के भीतर, अध्यक्ष तथा महापौर के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलिन बुलाएगाः

परंतु यह कि यदि किसी भी कारण से महापौर तथा/या अध्यक्ष का चुनाव एक ही बैठक में पंद्रह दिनों के भीतर पूर्ण नहीं हो सका हो, तो यह दो या अधिक बैठकों में पूर्ण किया जा सकेगा, किन्तु संपूर्ण प्रकिया धारा 22 के अधीन चुनाव की अधिसूचना के तीस दिनों की कालावधि के भीतर पूर्ण करना होगा।"

(तीन) उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(3) उप–धारा (1) के अधीन सम्मिलन, ऐसी रीति में बुलाया जायेगा, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित किया जाये, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी । अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मत बराबर होने की दशा में, परिणाम लाट द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।"

(चार) उप–धारा (4) में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" अंतःस्थापित किया जाये।

15. मूल अधिनियम में, धारा 20 में, स्पष्टीकरण में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" अन्तःस्थापित किया जाये। धारा 20 का संशोधन.

16. मूल अधिनियम में, धारा 23–क में,– धारा 23–क का संशोधन.

(एक) शीर्षक में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर या " अन्तःस्थापित किया जाये;

(दो) उप–धारा (1) में, शब्द "अध्यक्ष" जहां कहीं भी आया हो के पूर्व, शब्द "महापौर या" अन्तःस्थापित किया जाये; और

(तीन) उप–धारा (2) में, खण्ड (दो) में, शब्द "महापौर" के स्थान पर, शब्द "महापौर, अध्यक्ष" प्रतिस्थापित किया जाये ।

धारा 24 का संशोधन.

17. मूल अधिनियम मे, धारा 24 का लोप किया जाये ।

धारा 422 का संशोधन.

18. मूल अधिनियम में, धारा 422 में, उप–धारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''महापौर तथा'' अंतःस्थापित किया जाये।

धारा 441 का संशोधन.

19. मूल अधिनियम मे, धारा 441 में, उप–धारा (2) में खण्ड (आ) में, उप–खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में, किसी निर्वाचित पार्षद द्वारा।''

निरसन.

20. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क. 2 सन् 2019) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य में व्यवस्था अनुसार, नगरपालिक निगम में महापौर का चुनाव सीधा शहरी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। शासन को अनेक स्त्रोतों से यह शिकायत/सुझाव प्राप्त हुआ है कि यह व्यवस्था, प्रमुख दोष का सामना कर रहा है, क्योंकि अनेक बार निर्वाचित महापौर को निर्वाचित पार्षदों का विश्वास एवं बहुमत समर्थन प्राप्त नहीं होता है, जिससे निगम के सुचारु कार्य संचालन में स्वाभाविक रुप से बाधायें आती है। अतः यह प्रस्तावित है कि महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रुप से निर्वाचित पार्षदों द्वारा उनके बीच से किये जाने हेतु व्यवस्था को परिवर्तित किया जाये, ताकि महापौर को सभी समयों पर पार्षदों का बहुमत समर्थन प्राप्त हो सके और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बल मिल सके ।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2019 लाया गया था। जिसका छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 25.10.2019 को हुआ है। अतएव उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2019 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) में उपयुक्त संशोधन करना प्रस्तावित है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 23 नवम्बर, 2019

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 अध्यादेश को प्रख्यापित करने के संबंध व्याख्यात्मक टीप

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ (असाधारण) राजपत्र में दिनांक 25.10.2019 को माननीया राज्यपाल की अनुमति से प्रकाशित किया गया है। उपरोक्त अध्यादेश में संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ में 1 (3) में "यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा" प्रकाशित है। प्रस्तावित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2019 में संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ में 1 (3) में "यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी जिसे राज्य शासन अधिसूचना द्वारा नियत करे।" प्रस्तावित है।

प्रस्तावित विधेयक तथा अध्यादेश में अंशतः रूपभेद है। विधेयक पारित होने उपरान्त संशोधन विधेयक को अधिनियम के रूप में प्रवृत्त करने के लिये पृथक से अधिसूचना शासन द्वारा जारी की जायेगी।

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम,1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) में संशोधन हेतु सुसंगत धाराओं का उद्धरण

धारा–5

खण्ड 34–क "नगर पालिक क्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी नगर पालिक निगम का प्रादेशिक क्षेत्र जो राज्यपाल द्वारा इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित किया गया है;

धारा–9 – नगर पालिक निगम की संरचना–

उप धारा – (1) नगर पालिक निगम निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:–

(क) नगर पालिक (वार्डो) से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित महापौर अर्थात् सभापति (चेयरपर्सन);

उप धारा– (4) यदि कोई नगर पालिक क्षेत्र महापौर का निर्वाचन करने में असफल रहे या कोई वार्ड पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहे, तो यथास्थिति ऐसे नगर पालिक क्षेत्र या वार्ड के लिए स्थान को भरने के लिए छह मास के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:

परन्तु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष, विभागीय समितियों या समितियॉ में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहीयॉ ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थगित नहीं की जाएंगी।

धारा–11–क महापौर के पद का आरक्षण –

(1) राज्य में के निगमों के महापौर के पदों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी संख्या में महापौर के पद आरक्षित रखे जाएंगे जिसका अनुपात यथाशक्य निकटतम रूप से वही होगा जो राज्य के समस्त नगर पालिक निगमों की सीमाओं के भीतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्गो की जनसंख्या का ऐसे क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के साथ है।

(2) महापौर के पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन आरक्षित किए गए महापौर (मेयर) के पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम रूप से पचास प्रतिशत स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) पदों की कुल संख्या के यथाशक्य संभव एक तिहाई स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

धारा–12 मतदाताओं की अर्हता तथा उनका नाम दर्ज किया जाना– धारा 13 तथा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो – –

(ए) उस वर्ष की, जिसमें किसी वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार की गई हो या पुनरीक्षित की गई हो, जनवरी के प्रथम दिन 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है;

(बी) किसी वार्ड में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (क्रमांक 43 सन् 1950) की धारा 20, जो इस उपांतरण के अध्यधीन रहेगी कि उसमें 'निर्वाचन–क्षेत्र' के प्रति किया गया निर्देश 'वार्ड में समाविष्ठ क्षेत्र' के प्रति किया गया निर्देश है, के अर्थ के अन्तर्गत मामूली तौर से निवासी है; और

(सी) उस विधानसभा निर्वाचक नामावली में, जिसका कि उस वार्ड से संबंध स्थापित किया जा सकता हो, नाम दर्ज किया जाने के लिए अन्यथा अर्हित है ;

उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किए जाने का हकदार होगा :

परन्तु ––

(एक) कोई भी व्यक्ति उसी नगर में के एक से अधिक वार्डो की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा।

(दो) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा।

धारा–14 निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना तथा निर्वाचनों का संचालन –

(1) नगर पालिक निगमों के पार्षदों तथा महापौर के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियॉ तैयार कराए जाने और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचक नामावलियॉ तैयार करने के लिए और नगर पालिक निगमों के पार्षदों तथा महापौर के सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए नियम बनाएगी।

धारा–14–क निर्वाचन व्ययों का लेखा –

धारा–14–क(1) महापौर के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिसके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती है, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा।

धारा–14–ख निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना –

धारा–14(ख) महापौर के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा–14–क के अधीन रखा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

धारा–14–ग निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निर्हरता –

धारा–14–ग(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा निगम का पार्षद या महापौर होने के लिए उस आदेश की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्हित होगा।

धारा–15 मतदान की पात्रता –

धारा–15 ऐसा प्रत्येक मतदाता जो किसी वार्ड मे तत्समय प्रवृत्त निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, पार्षदों या महापौर के किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र होगा और कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति यथास्थिति, पार्षदों के किसी निर्वाचन में या महापौर के निर्वाचन में, एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा।

धारा–16 महापौर या पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता –

धारा–16 (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसा कोई व्यक्ति जो नगर पालिक निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में नामांकित है– –

(क) यदि वह आयु में पच्चीस वर्ष से कम नहीं है महापौर के निर्वाचन हेतु, और

धारा–16 (4) यदि कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद दोनों पदों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर किसी एक पद से अपना त्यागपत्र देना होगा।

धारा–17 –

धारा–17 पार्षद या महापौर) होने के लिए व्यापक निरर्हताएं– (1) कोई भी ऐसा व्यक्ति पार्षद या महापौर नहीं होगा, जो–

(ए) (एक)भारतीय दंड सहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 153–क या धारा 171–ड. या धारा 171–च या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का सं. 43) की धारा 125 के अधीन या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 25) की धारा 3 तथा 4 के अधीन या छत्तीसगढ़ लोकल अथॉरिटीज

(इलेक्टोरल ऑफेन्सेस) एक्ट, 1964 (क्रमांक 13 सन् 1964) की धारा 10 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, जब तक कि दंडादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो,

(दो) भारत के किसी न्यायालय द्वारा ––

(क) उपखंड (एक) के अधीन न आने वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो और दो वर्ष से अन्यून कालावधि के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, या

(ख) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) के किन्हीं उपबंधों के या जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का या खाद्य या औषधि अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो,

जब तक कि दंडादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो।

खण्ड–(ख ख) पार्षद या महापौर के रूप में और आगे निर्वाचित किए जाने या नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए धारा 17–ए के अधीन निरर्हित कर दिया गया हो, जब तक कि वह ऐसी निरर्हता से राज्य सरकार द्वारा मुक्त न कर दिया गया हो;

खण्ड–(ड.) महापौर की दशा में पच्चीस वर्ष से कम आयु का हो और पार्षद की दशा में इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो;

<u>उपधारा (2) पार्षद या महापौर बने रहने के लिए अयोग्यता –</u> यदि कोई (पार्षद या महापौर) ऐसी अवधि के भीतर, जिसके लिए वह निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया हो–

<u>उपधारा (3) यह निर्णय करने की शक्ति कि क्या कोई रिक्ति हुई है –</u> उपधारा (1) के खण्ड (एन) और उपधारा (2) के खण्ड (ई) के अधीन आने वाले प्रकरणों के सिवाय प्रत्येक प्रकरण में प्रत्येक प्रकरण में यह निर्णय देने के लिए कि क्या इस धारा के अधीन कोई स्थान रिक्त हुआ है सक्षम प्राधिकारी शासन होगा। यह निर्णय या तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन–पत्र पर या स्वयं की प्रेरणा पर दिया जा सकेगा। जब तक शासन यह निर्णय न कर दे कि स्थान रिक्त हुआ है, वह पार्षद या महापौर उपधारा (2) के अधीन पार्षद या महापौर के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य नहीं होगा;

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी आज्ञा किसी भी पार्षद या महापौर के विरूद्ध उसे सुने जाने का यथोचित अवसर दिए बिना नहीं दी जाएगी।

<u>धारा–17–ख</u>

धारा–17(ख) महापौर तथा पार्षद, द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान– (1) प्रत्येक महापौर तथा प्रत्येक पार्षद, यथास्थिति, निगम के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष (स्पीकर) के चुनाव में भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पूर्व कलेक्टर के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करेगा :–

मै..... महापौर/निर्वाचित पार्षद/नामनिर्दिष्ट पार्षद नगर पालिक निगम .... ईश्वर की शपथ लेता हूँ ..... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मै विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की सम्प्रभुता तथा अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मै ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा।

(2) यदि महापौर या पार्षद उपधारा (1) के अधीन शपथ नहीं लेता है तो यह समझा जाएगा कि यथास्थिति, ऐसे महापौर या पार्षद ने अपना पद ग्रहण नहीं किया है:

परन्तु यदि यथास्थिति, महापौर या पार्षद संचालक की अनुमति के सिवाय, यथास्थिति, निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से तीस दिन के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वयमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा।

धारा–18

धारा–18 अध्यक्ष (स्पीकर) का निर्वाचन – (1) निगम का महापौर तथा निर्वाचित पार्षद धारा 22 के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, विहित रीति में निर्वाचित पार्षदों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन सम्मिलन कलेक्टर द्वारा बुलाया जाएगा तथा वह उसकी अध्यक्षता करेगा।

(4) अध्यक्ष की पदावधि, निगम की पदावधि की सह–विस्तारी होगी।

धारा–20

धारा–20 नगर पालिक निगम की अवधि– (1) प्रत्येक नगर पालिक निगम, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो अपने प्रथम सम्मिलन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बना रहेगा, इससे अधिक नहीं।

स्पष्टीकरण– अध्यक्षको निर्वाचित करने के लिए धारा (18) की उपधारा (1) के अधीन किए गए सम्मिलन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस उपधारा के प्रयोजन के लिए प्रथम सम्मिलन है।

धारा–23–क

धारा–23(क) अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव– (1) अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए सम्मिलन में किसी निर्वाचित पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और यदि प्रस्ताव सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के दो–तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाए और यदि ऐसा बहुमत निगम का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो, तो अध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जाएगा:

परन्तु अध्यक्ष के विरूद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव ––

(एक) उस तारीख से जिससे कि अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करे, दो वर्ष की कालावधि के भीतर,

(दो) उस तारीख से, जिस पर कि पूर्व अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, एक वर्ष के भीतर नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए निगम का सम्मिलन बुलाया जाएगा तथा कलेक्टर द्वारा उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित रीति में की जाएगी – –

(एक) तत्समय निगम का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम–से–कम (एक तिहाई) द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर तत्काल सम्मिलन बुलाया जाएगा।

(दो) ऐसे सम्मिलन की सूचना, तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए महापौर तथा प्रत्येक पार्षद को सम्मिलन के दस पूर्ण दिन पूर्व भेजी जाएगी;

(तीन) इस धारा के अधीन लाए गए अविश्वास के प्रस्ताव का विनिश्चय गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा।

धारा–24

धारा–24 महापौर का वापस बुलाया जाना– (1) किसी निगम के प्रत्येक महापौर द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि उसे ऐसी प्रकिया के अनुसार जो कि विहित की जाए, निगम क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए:

परन्तु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रकिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों के द्वारा कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएँ और उसे संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत न कर दिया जाए:

परन्तु यह और कि ऐसी कोई प्रकिया ––

(एक) उस तारीख से जिसको कि ऐसा महापौर निर्वाचित होता है और अपना पद धारण करता है, दो वर्ष की कालावधि के भीतर आरंभ नहीं की जाएगी;

(दो) यदि उप चुनाव में निर्वाचित महापौर की आधी कालावधि का अवसान न हो गया हो, आरंभ नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी की महापौर को वापस बुलाए जाने कि प्रकिया उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार ही आरंभ की जाएगी।

(2) संभागीय आयुक्त अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापित कर लेने के पश्चात् कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, मतदान कराने की व्यवस्था करेगा।

<u>धारा–422 नियम का विघटन –</u>

धारा–422 (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा निगम को, उसके लिए कारण कथित करते हुए, विघटित कर सकेगी, यदि –

(ख) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन पार्षदों के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में पार्षदों के निर्वाचन के प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर या अध्यक्ष की पदावधि की समाप्ति के एक मास के भीतर, निगम अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं करता है, या

(ग) लुप्त

परन्तु निगम का विघटन करने के पूर्व निगम को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

<u>धारा–441 निर्वाचन याचिकाएं</u>–धारा–441 उपधारा (2) खण्ड (आ) उपखण्ड (तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में नगर पालिक क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा प्रारंभिक विचाराधिकार वाले मुख्य सांपत्तिक न्यायालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् "न्यायालय" के नाम से उल्लेखित किया गया है) को, जिसके कि विचाराधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर निर्वाचन या नाम निर्देशन हुआ था, प्रस्तुत की जा सकेगी।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.